

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी०सी०आर्य)

सत्र प्रकरण क्रमांक: 283 / 2015

संस्थित दिनांक-27 / 08 / 15

फाइलिंग नंबर-230303005722015

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मौ, जिला-भिण्ड (म०प्र०)अभियोजन

वि रू द्ध

- 1- प्रदीप सिंह पुत्र कमलेशसिंह
आयु 32 वर्ष
- 2- मोनू उर्फ रविन्द्र पुत्र राजेन्द्र सिंह
आयु 26 वर्ष
- 3- संदीप पुत्र कमलेशसिंह
आयु 30 वर्ष
- 4- कमलेश पुत्र सुधरसिंह
आयु 62 वर्ष
- 5- श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी कमलेशसिंह
आयु 55 वर्ष
समस्त निवासीगण ग्राम गुहीसर,
थाना मौ जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

.....आरोपीगण

न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद पंकज शर्मा के द्वारा उनके न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 257 / 15 ई०फौ० मे दिनांक 24 / 08 / 2015 को पारित उपार्षण आदेश से उद्भूत सत्र प्रकरण।

राज्य द्वारा ए०जी०पी० श्री भगवान सिंह बघेल
अभियुक्तगण द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता

(निर्णय)

(आज दिनांक 03 नवंबर 2016 को घोषित)

1. आरोपीगण के विरुद्ध धारा 498-ए, 304 बी भा०द०वि० एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 19/12/14 को दोपहर 02:30 बजे एवं उसके पूर्व ग्राम गुहीसर थाना मौ स्थित मृतिका कीर्ति को ससुराल में रहते समय विवाह के 7 वर्ष के भीतर पति एवं पति के नातेदार रहते हुए दहेज में मोटर साइकिल, 50,000 /-रुपये एवं

फ्रिज की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार किया तथा जिसके फलस्वरूप उसकी सामान्य से अन्यथा परिस्थितियों में फांसी लगने से मृत्यु कारित हुई जो कि दहेज मृत्यु की श्रेणी में आती है ।

2. प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि मृतिका श्रीमती कीर्ति का आरोपी प्रदीप के साथ दिनांक 26/06/14 को हिन्दू रीति रिवाज से विवाह हुआ था, यह भी स्वीकृत है, कि विवाह पश्चात ससुराल में रहते हुए मृतिका के विवाह के 06 माह के भीतर मृत्यु हुई थी, आरोपीगण के मृतिका से पति और पति के नातेदारों के संबंध भी स्वीकृत है।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि ग्राम गुहीसर के चौकीदार हरविलास के पुत्र महेश द्वारा थाना मौ में जाकर घटना के संबंध में इस आशय की सूचना दी कि प्रदीप पुत्र कमलेश पवैया की पत्नी कीर्ति उम्र 22 साल ने छत के कुंदे से रस्सी बांधकर गले में फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या कर ली है, जो मर गयी है, उसके पिताजी वृद्ध हैं, इसलिये सूचना करने आया हूँ। उक्त आशय की मर्ग सूचना पर से मर्ग क्रमांक-42/2014 धारा-174 सी.आर.पी.सी. के तहत प्र0पी0-13 कायम कर जांच एस.डी.ओ.पी. गोहद की ओर मृतिका नवविवाहित होने से भेजी गयी। जांच एस.डी.ओ.पी. गोहद अमरनाथ वर्मा द्वारा की गयी । जांच के दौरान मर्ग इंटीमेशन, पंचायतनामा लाश, शादी कार्ड व पी.एम. रिपोर्ट , घटनास्थल का नक्शा मौका एवं मृतिका के पिता घरवालों के कथन लिये गये एवं जांच में उपलब्ध साक्ष्य से मृतिका कीर्ति को ससुराल में पति प्रदीप, ससुर कमलेश, चाचा ससुर सास मुन्नी, देवर संदीप सिंह, भांजी कीरती, चाचा का लडका मोनू के द्वारा दहेज में पचास हजार रुपये, मोटरसाइकिल, फ्रीज की मांग कर मारपीट कर प्रताड़ित करते रहना पाया गया । उक्त प्रताड़ना के चलते मृतिका की मृत्यु शादी के सात वर्ष के अंदर फांसी लगाकर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में होने के आधार पर धारा 304 बी एवं 498-ए भा0द0वि0 एवं धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पाए जाने से प्रदर्श पी 16 की एफआईआर दर्ज की जाकर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु जेएमएफसी न्यायालय गोहद में पेश किया गया।
4. जे0एम0एफ0सी श्री पंकज गुप्ता द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 257/15 ई0फौ0 आदेश दिनांक 24/08/15 के द्वारा मामला सत्र विचारण का होने से धारा 209 द0प्र0सं0 के तहत उपार्पित किया जो कि मा0 सत्र. न्यायाधीश महोदय सत्र खण्ड भिण्ड के अंतरण आदेश के द्वारा इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।
5. प्रस्तुत किए गए अभियोग पत्र एवं उसके साथ सलग्न प्रपत्रों के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 498-ए ,304-बी भा0द0वि0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत आरोप लगाए गए आरोपीगण द्वारा अपराध से इंकार कर विचारण चाहने पर विचारण किया गया आरोपीगण ने धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को

निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाये जाने का आधार लिया है ।

6. प्रकरण में विचाराधीन आरोपों के निराकरण हेतु निम्नलिखित बिंदु विचारणीय है -

- 1- क्या मृतिका कीर्ति को आरोपीगण ने ससुराल में रहने के दौरान मोटरसायकिल, फ्रिज और 50,000/-रूपये दहेज में लाने की मांग की थी ?
- 2- क्या आरोपीगण ने मृतिका से उसके पति व पति के नातेदार रहते हुए दहेज में उक्त वस्तुओं की मांग की ?
- 3- क्या, आरोपीगण ने दहेज की मांग पूर्ति ना होने पर मृतिका के साथ शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता का व्यवहार किया ?
- 4- क्या, आरोपीगण ने उक्त कूरता एवं उत्पीड़न दहेज की मांग को लेकर मृतिका के साथ किया था ?
- 5- क्या मृतिका की मृत्यु दिनांक-19/12/14 को दोपहर 02:30 बजे के पूर्व ग्राम गुहीसर थाना मौ के अंतर्गत ससुराल में रहते हुए सामान्य से अन्यथा परिस्थितियों में कारित हुई ?
- 6- क्या, मृतिका कीर्ति की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई ?
- 7- क्या, मृतिका कीर्ति की मृत्यु दहेज मृत्यु की श्रेणी में आती है? यदि हां तो दण्ड ?

—::—निष्कर्ष के आधार :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक- 01 लगायत-07 का निराकरण

7. उक्त सभी विचारणीय बिन्दुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है ।
8. यह सुस्थापित विधि है कि आपराधिक मामले में अभियोजन पर ही मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने का भार होता है और बचाव पक्ष की किसी कमजोरी का लाभ अभियोजन नहीं उठा सकता है । जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **प्रहलाद विरुद्ध म.प्र.राज्य आई.एल.आर. 2011 एम.पी. पेज-489** में भी प्रतिपादित है इसलिये यह मामला भी अभियोजन को ही उक्त सिद्धांत मुताबिक प्रमाणित करना है ।
9. दहेज प्रतिशोध अधिनियम की धारा-2 के मुताबिक

“दहेज की परिभाषा”— इस अधिनियम में “दहेज” से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी समय—

- क— विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, या
- ख— विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को,

उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई या दी जाने के लिये करार की गई है, किन्तु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं है।

स्पष्टीकरण 2— “मूल्यवान प्रतिभूति” पद का वही अर्थ है जो भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा-30 में है।

10. विचाराधीन प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराए गए साक्षियों में से किसी भी साक्षी ने आरोपीगण के द्वारा विवाह के समय या उसके पश्चात दहेज की किसी भी प्रकार की कोई मांग किए जाने की अभिसाक्ष्य नहीं दी है। मृतिका के माता पिता महेन्द्रसिंह अ०सा०-07 और सावित्री देवी अ०सा०-08 ने भी दहेज की मांग से इन्कार किया है, ऐसी दशा में दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961 के अंतर्गत धारा 3 के उल्लंघन संबंधी उक्त अधिनियम की धारा-04 का आरोप कतई प्रमाणित नहीं होता है। जहां तक अन्य आरोप धारा- 498ए एवं 304बी भा०द०वि० का संबंध है उसके संबंध में साक्ष्य का मूल्यांकन करना होगा।

11. विचाराधीन धारा-304 बी भा०द०वि० के अपराध के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा-113 बी के अवयवों की पूर्ति होना आवश्यक है और अभियोजन का ऐसा तर्क है कि शव परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उक्त तत्वों की पूर्ति प्रकरण में होती है। इसलिये खण्डन का भार आरोपीगण पर है, जबकि बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क किया गया है कि प्रकरण में जो आरोप लगाये गये हैं, उनके संबंध में जो साक्ष्य पेश की गयी, उसमें साक्ष्य अधिनियम की धारा-113 बी में बतलाए आवश्यक तत्वों की कोई पूर्ति नहीं होती है और मामला पूरी तरह से संदिग्ध है जिसका आरोपीगण लाभ पाने के पात्र हैं।

12. धारा-113 बी साक्ष्य अधिनियम के मुताबिक दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा तभी बनायी जा सकती है जबकि यह दर्शित किया जाता है कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के ठीक पहले उसे उस व्यक्तिद्वारा दहेज की मांग के संबंध में परेशान किया गया था अथवा उसके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया गया था, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसा व्यक्ति दहेज मृत्यु का कारण रहा था

। उक्त धारा-113 बी के संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए दहेज मृत्यु का वही अर्थ होगा जैसा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 (ख) में उल्लेखित है । इस संबंध में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **बबलू उर्फ जामसिंह विरुद्ध म.प्र. राज्य 2009 भाग-3 एम.पी.वीकली नोट शोर्ट नोट-65** में धारा-113 (बी) साक्ष्य अधिनियम की व्याख्या करते हुए यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि दहेज की मांग तथा मृत्यु पर आधारित कूरता के प्रभव के मध्य निकट तथा सही कड़ी का अस्तित्व होना चाहिये, यदि ऐसा स्थापित नहीं होता है तो दहेज मृत्यु की उपधारणा निर्मित नहीं की जा सकती है ।

13. धारा-304 (बी) भा.द.वि.के अपराध के लिए जिन आवश्यक तत्वों का प्रमाणित होना आवश्यक है उनमें निम्न लिखित पांच तत्व हैं :-

1. संबंधित महिला की मृत्यु जलकर अथवा ऐसी शारीरिक चोट द्वारा अथवा सामान्य से भिन्न परिस्थितियों में हो ।
2. मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हो ।
3. महिला को परेशान किया गया हो और उसके साथ कूरतापूर्ण व्यवहार किया गया हो ।
4. ऐसा व्यवहार पति या पति के संबंधियों द्वारा किया गया हो और
5. वह कूरता अथवा उत्पीड़न दहेज के लिए की गयी हो तथा अपराध पूर्ण होता है । जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **श्रीमती शांतिबाई विरुद्ध हरियाणा राज्य ए.आई.आर. 1991 एस.सी.पेज-1226** में बतलाया गया है ।

14. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-113-बी में यह विधिक स्थिति है कि मृतिका के साथ कूरता एवं तंग करने का व्यवहार मृत्यु के “कुछ पूर्व” (Soon before her death) किया गया होना चाहिये, यह समीपता (proximity) परख के सिद्धांत को परिलक्षित करती है । (This Reflects the insignia of proximity test) शब्द कुछ पूर्व वास्तव में प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर होता है । विधान मण्डल का आशय एकदम स्पष्ट है कि धारा 113-बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन बनायी जाने वाले **बाध्यकारी** उपधारणा केवल उन मामलों तक परिसीमित होगी, जहां समय की समीपता (proximity) स्वतः दहेज के लिए दी गयी प्रताड़ना तथा अस्वाभाविक मृत्यु के बीच कारण तथा प्रभाव के अस्तित्व का सुरक्षित आश्वासन है ।

15. विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धांत है कि आपराधिक प्रकरणों में आरोपी के विरुद्ध आरोप साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पर होती है और यह कभी भी आरोपी पर शिफ्ट नहीं

होती, इसलिये प्रकरणों में यह मानकर चला जाता है कि आरोपी तब तक निर्दोष है, जबकि वह दोषी सिद्ध ना हो जाये, तो हर संदेह का लाभ आरोपी को दिये जाने का मार्गदर्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **विजय सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ यू.पी. ए.आई. आर. 1990 पेज-1459** में दिया गया है, इसलिये हस्तगत प्रकरण में भी प्रमाण भार अभियोजन पर ही रहेगा एवं न्याय दृष्टांत **भागीरथ विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. ए.आई.आर. 1976 सु.को. पेज-975** में भी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन जो कहानी लेकर चलता है वह उसे स्वयं साबित करनी चाहिये। आरोपी के बचाव की कमी का फायदा नहीं ले सकता है। उक्त स्थिति में प्रकरण में अभियोजन की ओर से पेश की गई साक्ष्य का सावधानीपूर्वक और सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाना अपेक्षित हो जाता है।

16. परीक्षित साक्षियों में से सर्वप्रथम चिकित्सकीय साक्ष्य का मूल्यांकन करना उचित व आवश्यक है, अभियोजन की ओर से इस संबंध में डॉ० एस०आर० विमलेश अ०सा०-01 का परीक्षण कराया है, जिसने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 20/12/14 को सी०एच०सी० मौ में मेडीकल ऑफीसर रहते हुए मृतिका कीर्ति पत्नी प्रदीप पवैया के शव को पुलिस मौ द्वारा लाए जाने पर उसका परीक्षण करने पर बाह्य परीक्षण में मृतिका साडी, ब्लाउज, पेटीकोट, दोनों हाथों में धातु की चूड़ियां, पैरों में बिछिया पहले थी। उसका मुंह अधखुला था, दोनों आंखों की पुतलियां फैली हुई थीं, कोर्निया अपारदर्शी थी, पेट फूला हुआ था, लार दाहिने मुंह के ऐंगल से निकलकर दाहिने गाल पर सूखी हुई थी, शरीर पर अकडन मौजूद थी, हाथ व पैर के नाखूनों पर नीलापन था, गर्दन पर रगड़ने के निशान थे, उक्त निशान पीछे की ओर जबड़े के किनारे से होते हुए कान के पीछे की हड्डी तक गये थे, जो आकार में 23 गुणित 1.8 से०मी० था। उक्त चिकित्सक द्वारा मृतिका का आंतरिक परीक्षण करने पर छोटी रक्त वाहिनीयां टूटी हुई पाई थीं, दोनों फैंफड़े सुकड़े हुए थे, हृदय का दाहिना कोष्ठ रक्त से भरा था, बायां कोष्ठ खाली था, वृहत वाहिकाओं में खूनी पदार्थ उपस्थित था, आंतों की झिल्ली, लीवर, तिल्ली, गुर्दा सुकड़े हुए थे, पेट में लेईनुमा भोज्य पदार्थ गैस मौजूद थी, छोटी आंत में अधपचा भोजन बड़ी आंत में मल व गैस मौजूद थी, मूत्राशय में अल्पमात्रा में पेशाब थी, मृतिका की गर्दन पर पाए गए निशानों के बारे में अपने अभिमत में यह बताया है, कि मृतिका की उक्त चोटें मृत्यु पूर्व (Antimortom Injury) की थी और प्राणघातक थीं जो किसी नर्म वस्तु से आना प्रतीत होती थी और शव परीक्षण के 24 घंटे के भीतर दम घुटने के कारण स्वसनतंत्र की विफलता से मृत्यु हुई थी। उक्त चिकित्सक ने स्वसनतंत्र की उक्त विफलता फांसी लगाने से होना बताते हुए शव परीक्षण पश्चात प्र०पी०-01 की शवपरीक्षण रिपोर्ट तैयार करना बताया है यह भी राय व्यक्त की है, कि मृतिका द्वारा स्वयं अपने हाथों से फांसी लगाई जा सकती है। मृतिका के शरीर पर अन्य किसी स्थान पर चोटों के

निशान नहीं पाए थे।

17. उक्त चिकित्सक के द्वारा प्र0पी0-01 की शवपरीक्षण रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है और जो अभिमत व्यक्त किया उससे मृतिका श्रीमती कीर्ति की मृत्यु गले में फांसी लगाने के कारण श्वसनतंत्र की विफलता से बताई गई है। अभियोजन कथानक मुताबिक भी मृतिका का विवाह पश्चात ससुराल में रहते हुए दहेज की मांग को लेकर की गई कूरता और उत्पीडन के कारण फांसी लगाना बताया गया है, इसलिए मृतिका द्वारा अपने हाथ से फांसी लगाए जाने के संबंध में चिकित्सक को बचाव पक्ष की ओर से पैरा-05 में दिए गए सुझावों के आधार पर कोई अन्यथा निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता है और यह प्रमाणित होता है, कि मृतिका की मृत्यु आत्महत्यात्मक प्रकृति की है। प्रकरण में अब यह मूल्यांकित करना होगा कि, क्या मृतिका द्वारा ससुराल में रहते हुए लगाई गई फांसी दहेज के लिए उत्पीडन और प्रताड़ना के आधार पर लगाई गई या नहीं यह प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मूल्यांकित करना होगा।

18. अभियोजन की ओर से अन्य परीक्षित साक्षियों में से आरोपी प्रदीप से मृतिका कीर्ति का संबंध तय कराने वाले रामनाथसिंह अ0सा0-02 और मुरारी सिंह अ0सा0-03 बताए गए हैं, जिनमें से रामनाथसिंह अ0सा0-02 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है, कि मृतिका का पिता महेन्द्र सिंह उसका ममिया ससुर का पुत्र होकर उसका रिश्ते में साला लगता है और उसने मृतिका कीर्ति की शादी ग्राम गुहीसर के कमलेश पवई के पुत्र प्रदीप के साथ तय कराई थी, तथा शादी में दहेज की कोई बात तय नहीं हुई थी, तथा शादी राजी खुशी से हुई थी, साक्षी ने दिनांक 24/04/16 को दिए अभिसाक्ष्य में यह कहा है, कि एक सवा साल पहले जब वह अपने खेत पर गया था और रात में करीब 03:30 बजे खेत से घर आया था, तब कमलेश के दरवाजे पर भीड़ थी, पूछने पर पता चला था, कि प्रदीप की बहू खत्म हो गई है, फिर उसने अंदर जाकर देखा था, तो प्रदीप की बहू कीर्ति पलंग पर मृत अवस्था में पड़ी थी, फिर वह अपने घर चला गया था, बाद में पुलिस ने उससे पूछताछ की थी, तब भी इसी आशय का कथन उसने पुलिस को देना बताया है और अपने लडके के मोबाइल से कीर्ति के पिता महेन्द्र को कीर्ति के खत्म होने की सूचना दी थी, कीर्ति के पिता का फोन नंबर उसके पास था, जिससे उसकी अक्सर बात होती रहती थी, किंतु कीर्ति ने आरोपीगण द्वारा दहेज मांगे जाने के संबंध उससे कोई शिकायत नहीं की थी, ना उसने ऐसा सुना की कीर्ति को उसकी ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान करते थे, ना उसे कभी कीर्ति या उसके पिता महेन्द्रसिंह ने व्यक्तिगत रूप से या फोन पर इस संबंध में कोई शिकायत की, बल्कि कीर्ति अपनी ससुराल में सुख पूर्वक रहती थी, अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर पूछे गए सूचक प्रश्नों में भी उसने इस बात से इन्कार किया है, कि कीर्ति के मरने

के बाद आरोपीगण घर छोड़कर भाग गए थे, साक्षी ने पुलिस को प्र0पी0-02 का ए से ए भाग का कथन "उसके घरवाले.....भेजा था" पुलिस को देने से इन्कार किया है और समझौते की बात से भी इन्कार किया है, इस प्रकार से उक्त साक्षी के द्वारा केवल मृतिका को ससुराल में मृत अवस्था में देखा जाना बताया गया है और किसी तथ्य के बारे में उसने अभियोजन कथानक बाबत कोई समर्थन नहीं किया है। इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य मुरारी सिंह अ0सा0-03 ने देते हुए प्र0पी0-03 लगायत प्र0पी0-05 के दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर बताए हैं और उसने मृतिका को रिश्ते में अपनी भतीजी होना बताया है, यह अवश्य कहा है, कि जब उसने मृतिका की लाश पलंग पर कमरे के अंदर पड़ी देखी थी, उस समय ससुरालवाले और महिलायें मौजूद नहीं थीं। पुलिसवाले और तहसीलदार आ गए थे, तहसीलदार ने प्र0पी0-03 का लाश पंचायतनामा बनाया था, मृतिका कीर्ति के शरीर पर एक जोड़ी चांदी की तोड़िया, एक सोने का पैडल जिस पर ओम बना था, कान में सोने के बाले और एक सोने की अंगूठी मिली थी, जो उसके सुपुर्द की गई थी, साक्षी ने प्र0पी0-04 सफीना फार्म और शादी के कार्ड की जब्ती प्र0पी0-05 के द्वारा करना बताई है। प्र0पी0-05 द्वारा शादी के कार्ड की जब्ती का समर्थन राजेन्द्र अ0सा0-04 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में किया है।

19. प्रकरण में मृतिका कीर्ति और आरोपी प्रदीप की शादी दिनांक 20/06/14 को हिन्दू रीतिरिवाज से सम्पन्न होना स्वीकृत तथ्य है, ऐसे में प्र0पी0-05 की कार्यवाही औपचारिक स्वरूप की हो जाती है और स्वीकृत तथ्य को देखते हुए यदि प्र0पी0-05 के जब्तीपत्र के आधार पर मृतिका की मृत्यु विवाह के 6 माह के भीतर होना प्रमाणित अवश्य होता है, जिसके आधार पर 113बी साक्ष्य अधिनियम के तहत अभियोजन के पक्ष में उपधारणा निर्मित अवश्य की जा सकती है, किंतु उक्त प्रावधान के तहत उपधारणा के लिए इस आशय के तथ्यों की प्रमाणिकता प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य से होनी आवश्यक है कि मृतिका को विवाह पश्चात दहेज के लिए आरोपीगण द्वारा पति व पति के नातेदारों की हैसियत से शारीरिक व मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया या प्रताड़ना दी, इसके लिए मृतिका के मायके पक्ष के परिजन महत्वपूर्ण साक्षी हो जाते हैं। अ0सा0-02 लगातय अ0सा0-04 के अभिसाक्ष्य से इस बात की तो अवश्य पुष्टि होती है, कि मृतिका की मृत्यु ससुराल में रहते हुए ही हुई।

20. मृतिका के पिता महेन्द्रसिंह अ0सा0-07 ने अपने अभिसाक्ष्य में स्वीकृत तथ्यों के अलावा यह कहा है, कि विवाह पश्चात उसकी पुत्री कीर्ति ग्राम गुहीसर में बिदा होकर ससुराल गई थी, और विवाह पश्चात वह ससुराल में आती जाती रही। 19 दिसंबर 2014 को शाम के समय गुहीसर के किसी व्यक्ति ने फोन पर उसे इस आशय की सूचना दी थी, कि कीर्ति ने फांसी लगा ली है, जिसके पश्चात वह अपने परिजनों के साथ कीर्ति की ससुराल ग्राम

गुहीसर गया था, वहां पर आरोपीगण और पुलिसवाले मौजूद मिले थे, पुलिस कीर्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई थी। उसका यह भी कहना है, कि कीर्ति गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव की थी, उसने फांसी क्यों लगाई, यह उसे पता नहीं है, लेकिन कीर्ति के ससुरालवाले कीर्ति को अच्छी तरह से रखते थे, उससे दान दहेज की कोई मांग नहीं की गई, ना मारपीट आदि की गई, साक्षी ने प्र०पी०-10 का पुलिस कथन देने से इन्कार करते हुए, इस बात से भी इन्कार किया है, कि कीर्ति जब मायके आती थी, तो आरोपीगण के द्वारा शादी में कम दहेज देना, पिता से दहेज में मोटरसाइकिल, 50,000/-रुपये और फ्रिज लाने के लिए कभी नहीं बताया, ना ही शिकायत की, इस बात से इन्कार किया है, कि उसने कीर्ति को समझाइश दी थी, कि ससुराल वालों को समझा लेंगे। यह अवश्य स्वीकार किया है, कि प्रदीप 22 नवंबर 2014 को उसके घर से कीर्ति को लिवाकर ले गया था, लेकिन इस बात से इन्कार किया है, कि उस समय भी उन्होंने कीर्ति को अच्छी तरह से रखने के लिए कहा था या प्रदीप से आगे परेशान ना करने की बात कही हो।

21. महेन्द्रसिंह अ०सा०-07 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी बताया है, कि दिनांक 19/12/14 को रामनाथ पवैया ने उसे मोबाइल फोन पर कीर्ति के खत्म होने की बात बताई, उसके बाद वह अपनी पत्नी के लेकर ग्राम गुहीसर गया, तो कीर्ति ससुराल के मकान के कमरे में पलंग पर मृत अवस्था में पड़ी थी, उनके पहुंचने से पहले ही पुलिस पहुंच गई थी, जो लिखापट्टी कर रही थी, उसने घटना में कीर्ति की भांजी का हाथ होने वाली बात भी पुलिस को नहीं बताई थी, इस प्रकार से मृतिका का पिता अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं करता है, तथा उसने पैरा-04 एवं पैरा-05 में यह भी स्वीकार किया है, कि आरोपीगण ने विवाह के समय भी उससे दहेज की मांग की नहीं की थी और उसने अपनी स्वेच्छापूर्वक सामान व नगदी दी थी, तथा यह भी स्वीकार किया है, कि विवाह में स्वेच्छापूर्वक मोटरसाइकिल एवं फ्रिज दिया था, जब वह मौके पर पहुंचा था, उसके पहले ही पुलिस ने कीर्ति के शव को उतार लिया था, आखिरी बार जब प्रदीप के साथ उसने कीर्ति को भेजा था, तब राजीखुशी से बिदा की थी, उक्त साक्षी ने भी आरोपीगण से समझौता होने या आरोपीगण से कोई आर्थिक लाभ प्राप्त करने से इन्कार किया है, इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य मृतिका की मां सावित्री देवी अ०सा०-08 ने देते हुए पुलिस को प्र०पी०-11 का कथन देने से इन्कार किया है, उक्त दोनों साक्षियों के पक्षविरोधी होने पर प्रतिपरीक्षा की भांति पूछे गए सूचक प्रश्नों में भी अभियोजन के कथानक के समर्थन में कोई तथ्य नहीं आए है, मृतिका के माता-पिता ने दहेज की मांग को लेकर घटना का कोई समर्थन ना करने से अभियोजन का मामला पूरी तरह से संदेह की परिधि में आ जाता है, क्योंकि विवाह के समय या पूर्व या पश्चात दहेज की कोई शर्त तय होने या दहेज मांगने की वे कोई पुष्टि नहीं करते हैं, बल्कि मृतिका को गुस्सैल व चिड़चिड़े स्वभाव की बताते हुए, मृतिका ने

फांसी क्यों लगाई इसकी उन्हें कोई जानकारी ना होना बताते हैं। ऐसे में अन्य परीक्षित साक्षियों के अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना अपेक्षित हो जाता है, क्योंकि बचाव पक्ष का यही तर्क रहा है, कि उन्होंने मृतिका से विवाह पश्चात कभी भी दहेज की मांग नहीं की, ना परेशान किया, ना कोई मारपीट की, ना कोई शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना दी और वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है, उनके आधार को मृतिका के माता-पिता के अभिसाक्ष्य में आए तथ्यों से इस प्रकार बल मिलता है।

22. रामौतार अ०सा०-09 और मोहनसिंह अ०सा०-10 दोनों ही लाश पंचायतनामा प्र०पी०-03, सफीना फार्म प्र०पी०-04 तथा जिस साडी से फांसी का फंदा लगाया जाना बताया गया है, उसके जब्तीपत्र प्र०पी०-12 के पंचसाक्षी हैं, जिन्होंने पुलिस द्वारा मृतिका कीर्ति के शव को कमरे में पलंग पर पड़ा देखना बताया है, जिसकी लाश का प्र०पी०-03 का पंचनामा पुलिस ने बनाया था, प्र०पी०-04 सफीना फार्म तैयार किया था और पुलिस लाश पोस्टमार्टम के लिए ले गई थी, उनकी राय में मृतिका की मृत्यु फांसी के द्वारा होना प्रतीत होती थी, मृतिका की साडी कमरे में ही पड़ी होना दोनों साक्षियों ने बताया है, अ०सा०-09 ने बिस्तर भी अस्त व्यस्त बताया है और साडी बिखरी हुई पड़ी देखना कहा है, उन्हें मृतिका के गले पर कोई निशाल समझ में नहीं आया था, इस प्रकार दोनों साक्षी भी गले में फांसी के फंदे द्वारा मृतिका की मृत्यु होने की पुष्टि करते हैं, जैसी कि चिकित्सकीय राय भी आई है। मृतिका के माता-पिता द्वारा भी मृतिका द्वारा फांसी लगाए जाने के तथ्य को प्रकट किया है, जिससे मृत्यु आत्महत्यात्मक प्रकृति की होने को बल मिलता है, किंतु कोई भी साक्षी यह स्पष्ट करने समर्थ नहीं है, कि मृतिका द्वारा किन परिस्थितियों के कारण फांसी लगाई गई, हालांकि मृतिका के माता-पिता एक संभावना मृतिका के गुस्सैल व चिड़चिड़े स्वभाव को बताते हैं, किंतु ऐसी कोई परिस्थिति परिलक्षित नहीं हुई है, कि मृत्यु पूर्व मृतिका के पति या उसके नातेदारों अर्थात् आरोपीगण के द्वारा मृतिका के साथ कोई ऐसा व्यवहार किया गया हो, जो उसे आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करता हो।

23. गीतम सिंह अ०सा०-12 जो कि आरोपीगण का पड़ोसी है, उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है, कि मृतिका उसके भतीजे कमलेश के पुत्र प्रदीप की पत्नी थी, जो कि करीब डेढ़ साल पहले फांसी लगाकर खत्म हो गई थी, जिसकी लाश को उसने पलंग पर पड़ा देखा था, उस समय ससुरालवाले और उनकी महिलायें मौजूद नहीं थीं, पुलिसवाले आए थे, पुलिस ने कार्यवाही की थी, इस साक्षी के भी प्र०पी०-03 लाश पंचायतनामा, प्र०पी०-04 सफीना फार्म पर हस्ताक्षर हैं, जिसकी कार्यवाही होना वह बताता है, उसके मुताबिक लिन लोगों ने लाश देखी थी, उनके अनुसार मृतिका द्वारा फांसी लगाई गई थी, जिससे वह खत्म हुई, लेकिन उक्त साक्षी ने यह भी

कहा है, कि उसके पहुंचने के बाद मृतिका के मायकेवाले भी आ गए थे, मौहल्ले के लोग भी थे, उक्त साक्षी ने भी प्र०पी०-14 का ए से ए भाग का कथन " कमरे में..... कुर्सी के पास पड़ी थी" पुलिस को लिखाने से इन्कार किया है और इस बात से भी इन्कार किया है, कि आरोपीगण मृतिका कीर्ति को हैरान परेशान करते थे, इसी कारण उसने तंग आकर आत्महत्या की, उसने यह भी स्वीकार किया है, कि आरोपीगण मृतिका कीर्ति को अच्छी तरह रखते थे और उसके सामने कभी दहेज की मांग नहीं की, ना प्रताड़ित किया, ना उसने कभी ऐसा सुना, ना उसे कीर्ति या उसके मायकेवालों ने बताया, जब कि कथानक मुताबिक उक्त साक्षी को मृतिका और उसके मायकेवालों के द्वारा आरोपीगण का मृतिका से दहेज की मांग करना और कम दहेज का उलाहना देना 50,000/-रुपये और मोटरसाइकिल और फ्रिज दहेज में लाने के लिए प्रताड़ित करने के कारण मृतिका कीर्ति के द्वारा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या विवाह के 6 माह के भीतर ही कर लिए जाने का घटनाक्रम बताया है, जिसका उक्त साक्षी ने भी कोई समर्थन नहीं किया है और सर्वप्रथम तो मृतिका के माता-पिता ने ही समर्थन नहीं किया है, जो कि सर्वाधिक महत्व के साक्षी थे, इस प्रकार से अभिलेख पर अभियोजन के कथानक के प्रमाण में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं आई है।

24. चौकीदार महेश अ०सा०-14 के मुताबिक दिनांक 19/12/14 को वह घर का सामान खरीदने के लिए कस्बा मौ गया था, दोपहर के समय उसके पिता हरविलास जो कि ग्राम गुहीसर का चौकीदार है, उन्होंने उसे फोन पर बताया था, कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है, और वह मौ नहीं जा पा रहा है और गांव के प्रदीप पवैया की पत्नी कीर्ति ने छत के कुंदे से रस्सी बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और मर गई है, इसकी सूचना वह थाने पर जाकर दे दे, तो वह थाना मौ पिता द्वारा दी गई सूचना थाने पर पुलिस को देने के लिए गया था, जिसकी पुलिस ने प्र०पी०-13 की लिखापट्टी की थी, उसके बाद पुलिस ग्राम गुहीसर में आई थी, वहां मृतिका के मायके वाले भी आ गए थे, आरोपीगण मौके पर नहीं थे, गांव के आदमी, औरतें आपस में बातचीत कर रहे थे, कि कीर्ति ने तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या की है, साक्षी ने यह स्वीकार किया है, कि उसके पिता ने मोबाईल पर उसे जो जानकारी दी थी, उसी की वह सूचना पुलिस को देने गया था और उसे कोई जानकारी नहीं है, तथा वह रात को मौ से अपने घर ग्राम गुहीसर लौटकर आया था, थाने पर ही उसने पुलिस के कहने पर कागजों पर हस्ताक्षर किए थे, उन्हें पढा नहीं था, प्र०पी०-13 की मर्ग सूचना लेख करनेवाले प्रधान आरक्षक निहालसिंह अ०सा०-11 ने अपने अभिसाक्ष्य में महेश मिर्घा के द्वारा थाना आकर इस आशय की सूचना देने पर कि कीर्ति पत्नी प्रदीप पवैया निवासी गुहीसर ने रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली है, उस पर से मर्ग क्रमांक 42/14 कायम कर प्र०पी०-13 लेखबद्ध किया था, क्योंकि मृतिका नवविवाहित थी

और उसकी सूचना एस0डी0ओ0पी0 गोहद को अग्रिम विवेचना हेतु भेजी थी, लेकिन वह जावक क्रमांक नहीं बता सकता है।

25. इस प्रकार से अ0सा0-11 एवं अ0सा0-14 अभिसाक्ष्य से गांव के चौकीदार हरविलास द्वारा अपने पुत्र को फोन पर दी गई सूचना पर से मार्ग की कायमी होना बताया गया है, किंतु सूचनाकर्ता के अभिसाक्ष्य में या प्र0पी0-13 की मार्गसूचना में फांसी के कारण का उल्लेख नहीं आया है और महेश अ0सा0-14 के अभिसाक्ष्य से तो यह प्रकट होता है, कि वह बाजार सौदा लेने गया था, वहीं उसने फोन पर प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस का सूचना दी थी उसके बाद वह वापिस पुलिस के साथ गांव नहीं आया, बल्कि वह रात में गांव लौटना बताता है, ऐसे में गांव के पुरुष, महिलाओं द्वारा आपस में बातचीत करते हुए यह सुनना कि कीर्ति ने तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या की, यह भरोसे योग्य नहीं है, क्योंकि मृतिका के माता-पिता ऐसा कोई आक्षेप नहीं करते हैं, बल्कि वे ससुराल में अपनी पुत्री के सुखपूर्वक रहने की बात बताते हैं। जहां तक महेश अ0सा0-14 के अभिसाक्ष्य में यह तथ्य आया है, कि आरोपीगण मौके पर नहीं थे, जैसा कि गीतमसिंह अ0सा0-12 पैरा-02 में एवं मुरारी अ0सा0-03 पैरा-01 में कहता है, किंतु मूल घटना बाबत वे समर्थन नहीं कर रहे हैं, दूसरी ओर मृतिका के माता पिता आरोपीगण का मौजूद मिलना बताते हैं, ऐसे में इस बिन्दु पर विरोधाभासी साक्ष्य है, हालांकि आरोपीगण की प्रकरण में अनुसंधान के दौरान जो गिरफ्तारी हुई है, वह घटना के काफी समय बाद हुई है, इसलिए यदि थोड़ी देर के लिए यह माना जाए कि आरोपीगण घटना के तत्काल पश्चात मौके से अनुपस्थित हो गए, इस आधार पर ही धारा-113(बी) साक्ष्य अधिनियम के तहत उपधारणा आरोपीगण के विरुद्ध और अभियोजन के पक्ष में निर्मित नहीं की जा सकती है, जब तक कि मायके पक्ष का कोई व्यक्ति या साक्षी दहेज की मांग को लेकर मृतिका को शारीरिक या मानसिक रूप से उत्पीड़न या प्रताड़ना बाबत समर्थन ना करें, जिसका प्रकरण में सर्वथा अभाव है, ऐसे में प्र0पी0-13 की मार्ग सूचना, अनुसंधान को अग्रसर करने के उद्देश्य से अ0सा0-11 व अ0सा0-14 के अभिसाक्ष्य से अवश्य प्रमाणित होती है, चूंकि दहेज प्रताड़ना बाबत कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे भी आरोपीगण के विरुद्ध उपरोक्त मामला पूरी तरह से संदेह की परिधि में आ जाता है।

26. एस0डी0ओ0पी0 अमरनाथ वर्मा अ0सा0-15 ने अपने अभिसाक्ष्य में प्र0पी0-13 की मार्ग सूचना क्रमांक 42/14 की जांच पर से आरोपीगण के विरुद्ध धारा-304बी भा0द0वि0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध क्रमांक 413/14 पंजीबद्ध कर प्र0पी0-16 की एफ0आई0आर0 दर्ज करना बताया है, किंतु मार्ग जांच में क्या कार्यवाही की इस बारे में कुछ नहीं बताया, पैरा-05 में यह अवश्य कहा है, कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थे तब मृतिका मृत मिली थी, उसे सूचना कार्यालय में प्राप्त हुई थी, जैसा कि प्रधान

आरक्षक निहालसिंह अ0सा0-11 का भी कहना है कि मर्ग सूचना करने के बाद उसने एस0डी0ओ0पी0 कार्यालय को सूचना भेजी थी।

27. उक्त विवेचक अ0सा0-15 ने अपने अभिसाक्ष्य में एफ0आई0आर0 पंजीबद्ध होने के पश्चात विवेचना में घटनास्थल पर जाकर प्र0पी0-17 का नक्शा मौका तैयार करना बताया है, जबकि प्र0पी0-17 का नक्शा मौका एफ0आई0आर0 दर्ज होने के पूर्व मर्ग क्रमांक 42/14 में तैयार किया गया है, और एफ0आई0आर0 दिनांक 20/12/14 को दिन के 02:15 बजे कायम हुई है, अर्थात् नक्शा मौका मर्ग जांच के दौरान ही तैयार होना स्पष्ट होता है, प्र0पी0-04 का सफीना फार्म भी घटनास्थल पर जारी किया जाना बताते हुए घटनास्थल से काले, लाल, पीले रंग की साड़ी जब्त करना बताया है, उसका प्र0पी0-12 का जब्तीपत्र तैयार करना भी कहा है जिसका समर्थन रामौतार अ0सा0-09 और मोहन अ0सा0-10 ने भी किया था, प्र0पी0-04 की कार्यवाही का भी उनके अलावा गीतमसिंह अ0सा0-12 ने समर्थन किया है, जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है, इसके अलावा विवेचना में उक्त विवेचक ने साक्षियों के उनके बताए अनुसार कथन लेखबद्ध करना कहा है, किंतु उनके द्वारा लिए गए कथनों का समर्थन किसी भी साक्षी ने नहीं किया है, और रामनाथ अ0सा0-02, महेन्द्रसिंह अ0सा0-07, सावित्री देवी अ0सा0-08, गीतमसिंह अ0सा0-12 में से कोई भी पुलिस कथनों का समर्थन नहीं करता है।

28. अमरनाथ वर्मा अ0सा0-15 ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपी मोनू को दिनांक 10/02/15 को, प्रदीप को दिनांक 19/02/15 को, संदीप को दिनांक 03/03/15 को गिरफ्तार करना और उनके प्र0पी0-06, 07 एवं 09 के गिरफ्तारी पत्रक तैयार करना बताया है, जिसका समर्थन प्रधान आरक्षक भोलाराम अ0सा0-05 और आरक्षक महेश अ0सा0-06 अपने अभिसाक्ष्य में करते हैं, किंतु गिरफ्तारी मात्र प्रमाणित होने से घटना प्रमाणित नहीं होती है, शादी के कार्ड की जब्ती प्र0पी0-05 से करना बताई गई है, जो कि औपचारिक स्वरूप की साक्ष्य है, क्योंकि शादी स्वीकृत तथ्य है, ऐसे में उक्त विवेचक के अभिसाक्ष्य से दहेज प्रताड़ना या दहेज की मांग करना और उसकी पूर्ति ना होने पर मृतिका को आरोपीगण द्वारा पति और पति के नातेदारों की हैसियत से प्रताड़ित किए जाने के तथ्य को कोई बल प्राप्त नहीं होता है, ऐसे में विवेचक की उक्त कार्यवाही से घटना प्रमाणित नहीं होती है।

29. एस0डी0ओ0पी0 प्रवीण अष्टाना अ0सा0-13 ने अपने अभिसाक्ष्य में केवल आरोपी कमलेश को दिनांक 19/12/15 को प्र0पी0-08 का गिरफ्तारीपत्रक बनाकर गिरफ्तार करना, मुन्नी देवी को दिनांक 01/03/16 को गिरफ्तार कर प्र0पी0-15 का गिरफ्तारीपत्रक तैयार करना बताया है, जो भी औपचारिक स्वरूप की

साक्ष्य है, क्योंकि उसकी अभिसाक्ष्य से विचाराधीन आरोपों के प्रमाण में कोई विधिक सहायता प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि अभिलेख पर मृतिका से विवाह के समय या विवाह के पश्चात दहेज मांगने और उसके लिए किसी भी प्रकार की प्रताड़ना दिए जाने के संबंध में विधिक रूप से उपर वर्णित अनुसार आवश्यक अवयवों की पूर्ति ना होने से उपरोक्त सभी विचाराधीन आरोप आरोपीगण के विरुद्ध संदेह के परे प्रमाणित नहीं होते हैं और यह कतई प्रमाणित नहीं होता है, कि आरोपीगण ने मृतिका कीर्ति से दहेज की कोई मांग की और दहेज में मोटरसाइकिल, फ्रिज एवं 50,000/-रूपये नगदी की मांग की और पूर्ति ना होने पर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार किया। फलतः आरोपीगण संदेह का लाभ पाने के पात्र है, अतः उन्हें संदेह का लाभ देते हुए दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-3/4 भा0द0वि0 की धारा-498ए और 304बी के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

30. आरोपीगण के धारा 428 द0प्र0स0 के तहत निरोध में काटी गई अवधि बाबत प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किए जावे।

31. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

32. प्रकरण में जब्तशुदा वस्तुएं साडी और मृतिका के 6 फोटोग्राफ आर्टिकल ए लगायत एफ एवं शादी का कार्ड मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात विधिवत नष्ट किए जाए, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निकारकरण हो।

निर्णय की एक प्रति डी0एम0 भिण्ड को भेजी जावे।

दिनांक: 03 नवंबर 2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड